

2. Senior Medical Officer, Regional Leprosy Training and Research Institute, Gouripur	- Member;
3. Assistant Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Gouripur	-Member.

[F. No. A.12018/66/2019-Lep]
GANESH KUMAR, Under Secy.

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
(भारत मौसम विज्ञान विभाग)
नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2024

सा.का.नि. 206.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में वैज्ञानिक सहायक के पद के भर्ती नियम, 2011 के तहत अधिसूचित भर्ती नियमों को अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग में वैज्ञानिक सहायक पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ तारीख :- (1) इन नियमों को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग वैज्ञानिक सहायक, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2023 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर:- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतन मैट्रिक्स में स्तर संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएँ आदि :- उक्त पदों से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु- सीमा, अर्हताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :- वह व्यक्ति-

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :- जहाँ केंद्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग या व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वैज्ञानिक सहायक	1972* (2024) *कार्यभार के अनुसार यह संख्या घट-बढ़ सकती है	सामान्य केंद्रीय सेवाएँ, समूह 'ख' (अराजपत्रित), गैर-अनुसचिवीय	लेवल-6 (रु. 35,400 - रु. 1,12,400)	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु - सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएँ	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि
(6)	(7)	(8)	(9)
30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार अथवा आदेशानुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट होगी।) टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने की अंतिम तिथि का निर्धारण कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिए गए विज्ञापन में किया जाएगा।	(1) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक डिग्री जिसमें भौतिकी एक विषय के रूप में रहा हो अथवा (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन या इलैक्ट्रॉनिक्स या इलैक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्यूनिकेशन इंजीनियरिंग या इलैक्ट्रॉनिक्स एवं टेली कम्प्यूनिकेशन इंजीनियरिंग या इंस्ट्रुमेंटेशन या सूचना प्रौद्योगिकी या टेली कम्प्यूनिकेशन इंजीनियरिंग या कम्प्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री टिप्पणी 1:- उपर संदर्भित (2) में वर्णित अर्हताओं के होते हुए भी अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो जिसमें भौतिकी और गणित एक विषय के रूप में रहा हो। टिप्पणी 2 : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	आयु सीमा: नहीं शैक्षणिक योग्यताएँ: लागू होंगी	सीधी भर्ती और प्रोन्नत किए गए उम्मीदवारों के लिए दो वर्ष। टिप्पणी : सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त उम्मीदवारों की परिवीक्षा अवधि के दौरान सक्षम अधिकारी द्वारा प्रायोजित कम से कम दो सप्ताह की "इंडक्शन ट्रेनिंग" को सफलतापूर्वक पूरा करना अनिवार्य है।

भर्ती की पद्धति: सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा एवं विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वेतन मैट्रिक्स में स्तर जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
(i) 95% सीधी भर्ती द्वारा (ii) 5% भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा; ऐसा नहीं होने पर सीधी भर्ती के द्वारा।	कॉलम (7) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले विभाग के कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित ग्रेड में सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अर्हता: (i) उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-4 (रु. 25,500- रु. 81,100) ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा;

	(ii) आशुलिपिक ग्रेड-II के पद पर वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-4 (रु. 25,500- रु. 81,100) ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा;
	(iii) मौसम विज्ञान पर्यवेक्षक ग्रेड-I के पद पर वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-5 (रु. 29,200 - रु. 92,300) ग्रेड में चार वर्ष की नियमित सेवा;
	(iv) मैकेनिक ग्रेड-1 के पद पर वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-4 (रु. 25,500- रु. 81,100) ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा; और
	(v) रेडियो मैकेनिक के पद पर वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-4 (रु. 25,500- रु. 81,100) ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने की स्थितियाँ जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने हेतु)	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं।
1) उपमहानिदेशक (प्रशासन) : अध्यक्ष	
2) वैज्ञानिक 'डी' : सदस्य	
3) मौसम विज्ञानी 'बी' : सदस्य	

[फा. सं. DGM-HQ-13012(18)/1/2021-E-II(E-1861)]

रंजू मदान, उपमहानिदेशक (प्रशासन)

MINISTRY OF EARTH SCIENCES**(India Meteorological Department)**

New Delhi, the 3rd January, 2024

G.S.R. 206.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Earth Sciences, Scientific Assistant Recruitment Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Scientific Assistant in the Ministry of Earth Sciences, India Meteorological Department, namely:-

- Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Earth Sciences, India Meteorological Department, Scientific Assistant, Group 'B' post Recruitment Rules, 2023.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and pay level in pay matrix.** - The number of post, its classification and the pay level in pay matrix attached there to shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification.** - No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said post;
Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
- Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.
- Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special

categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay Matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Scientific Assistant	1972* (2024) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Services, Group 'B', non-Gazetted, non-Ministerial,	Level-6 (`35,400-`1,12,400).	Not applicable.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants upto 5yrs in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note:- The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(1) Bachelor's Degree in Science with Physics as one of the subjects from a recognised institution or university; OR (2) Bachelor's Degree in Computer Science or Computer Applications or Electronics or Electronics and Communication Engineering or Electronics Telecommunication Engineering or Instrumentation or Information Technology or Telecommunication Engineering or Communication Engineering from recognised institution or university Note 1:- Candidates possessing qualifications mentioned in (2) above, must have passed Class XII examination from a recognised Board with Physics and Mathematics as one of the subjects. Note 2:- Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.	Age : No. Educational Qualification : Yes.	Two years for direct recruits and promotees. Note : There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for direct recruits for successful completion of probation as prescribed by the competent authority.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.
(10)	(11)
(i) 95% by direct recruitment; (ii) 5% by promotion through Limited Departmental Competitive Examination conducted by India Meteorological Department failing which by direct recruitment.	The employees of the Department in the following grades and possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column (7) are eligible for appearing in the Limited Departmental Competitive Examination: (i) Upper Division Clerk in pay level-4 (` 25,500-`81,100) in the pay matrix with six years of regular service in the grade; (ii) Stenographer Grade-II in pay level-4 (` 25,500-`81,100) in the pay matrix with six years of regular service in the grade; (iii) Meteorological Observer Grade-I in pay level-5 (` 29,200-` 92,300) in the pay matrix with four years of regular service in the grade. (iv) Mechanic Grade-I in pay level-4 (` 25,500-`81,100) in the pay matrix with six years of regular service in the grade; and (v) Radio Mechanic in pay level-4 (` 25,500-`81,100) in the pay matrix with six years of regular service in the grade.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (1) Deputy Director General (Administration) - Chairman; (2) Scientist-D - Member; (3) Meteorologist-B - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. DGM-HQ-13012(18)/1/2021-E-II (E-1861)]

RANJU MADAN, Dy. Director General (Administration)

अंतरिक्ष विभाग

बेंगलूरु, 28 दिसम्बर, 2023

सा.का.नि. 207.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अंतरिक्ष विभाग (अनुभाग अधिकारी) भर्ती नियम, 2011 के अधिक्रमण में, अंतरिक्ष विभाग में अनुभाग अधिकारी (समूह ख) के पद पर भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करते हुए राष्ट्रपति निम्नलिखित नियम बनाते हैं, जैसे कि:-

1. **लघु शीर्षक और आरंभ** - इन नियमों को अंतरिक्ष विभाग (अनुभाग अधिकारी) भर्ती नियम, 2023 कहा जाए।

ये नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर**- उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम सं. 2 से 4 में दिये अनुसार होंगे।

3. **भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि** - उक्त पदों हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा अन्य संबंधित मामले अनुभाग अधिकारी हेतु उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में दिये अनुसार होंगे।

4. **अपात्रता** - कोई भी ऐसा व्यक्ति,

क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है।

अथवा